शोध मंथन Vol. XVI No.4 Oct.- Dec. 2025 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *https://anubooks.com/journal-volume/shodhmanthan-vol-xvi-dec-2025-no4*

# भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में मीडिया की भूमिका

प्राप्तिः 11.11.25
स्वीकृतः 14.12.25

85

**श्रीमती श्वेता राय**
असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षाशास्त्र विभाग)
कालीचरण पी.जी. कॉलेज, लखनऊ
*ईमेलः bins.0280@gmail.com*

**सारांश**

*समाज में मीडिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। समाज का औसत व्यक्ति यह मानकर चलता है कि अखबार लोकतन्त्र का प्रहरी है और उसकी स्वतन्त्रता विवाद के परे है। 1956 में संचारविद् फ्रेडविद साइबर्ट थियोडोर पीटरसन और विल्वर श्रैम ने अपनी पुस्तक "Four throries of Press" में वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मीडिया सिद्धांतों का विस्तार से उल्लेख किया।*

1983 में डेनिस मेक्विल ने दो अन्य सिद्धांत–विकास संचार और लोकतान्त्रिक सहभागिता दिया, जिसका कारण विश्व की बदलती परिस्थितियाँ रहीं। किसी सरकार की प्रकृति क्या है यह जानने के लिए जन माध्यमों की प्रकृति का अध्ययन किया जाना चाहिए। जनसंचार माध्यम से प्रसारित राजनीतिक सूचनाएँ राजनीतिक विमर्श का बुनियादी स्रोत हैं। लोकतंत्र में संचार माध्यम दो महत्वपूर्ण तत्वों पर जोर देते हैं **पहला,** संविधान प्रदत्त अधिकारों और परंपराओं को बनाए रखा जाए जिससे राजनीतिक सूचनाएं मुक्त भाव से उपलब्ध हो सकें।

**दूसरा,** सरकार को संचारमाध्यमों के बारे में मनमाने और अत्यधिक अधिकार हासिल करने से रोका जाए। संचार माध्यम वैविध्य को संस्थागत रूप दिया जाए। इसके लिए जहाँ एक ओर प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त रखा जाए, वहीं दूसरी ओर संचारमाध्यम वैविध्य का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं को निर्मित करने के लिए कानूनी ढांचे का निर्माण किया जाए। लोकतांत्रिक संचार के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं **संप्रेषित करने का अधिकार और ग्रहण करने का अधिका**र।

ब्रिटेन की The Economist मैगजीन ने विश्व के 167 देशों में सर्वे किया और रिपोर्ट में बताया कि करीब 45 देशों में अधिनायकवाद फल फूल रहा है। इन देशों की राजनीतिक व्यवस्था मीडिया को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती है। मीडिया संदेशों की निगरानी के लिए बाकायदा सेंसरशिप व्यवस्था लागू है।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.85

ब्रिटेन की The Economist की रिपोर्ट के आधार पर विश्व के 24 देश पूरी तरह से लोकतान्त्रिक हैं, वहीं 54 देशों में दोषपूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था है, जिसमें भारत भी सम्मिलित है। इन देशों में मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता तो है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था किसी न किसी रूप में नकेल भी कसती रहती है। इसके बावजूद इनकी खासियत यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर मीडिया को लिखने बोलने की पूरी आजादी दी गई है।

**मीडिया और लोकतन्त्र –** भारत में इसकी शुरूआत सन् 1780 में हुयी जब 'बंगाल गजट' के नाम से पहला अखबार निकला और तब से आज तक यह हमारे जीवन का अविभाज्य अंग बन चुका है। मीडिया द्वारा लोकतन्त्र को बढ़ावा देने के 4 तरीके अपनाये जा सकते हैं –

1. **सार्वजनिक बहस और राजनीतिक जुड़ाव को बढ़ावा देना**
2. **जनता के प्रहरी के रूप में शक्ति के दुरूपयोग को देखना**
3. **शक्ति व राजनीतिक प्रभाव के पुर्नवितरण द्वारा**
4. **लोकतन्त्र को संचालित करने हेतु एक तंत्र प्रदान करना**

**भारत में मीडिया**

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में सूचना एवं प्रसारण सेवा को बहुत अधिक महत्व दिया गया। ऑल इण्डिया रेडियो, दूरदर्शन इत्यादि जनसूचना एवं प्रसारण के साधन थे, जो देश में मनोरंजन और समाचार के अतिरिक्त शैक्षणिक कार्यक्रम भी उपलब्ध कराते थे। वास्तव में जनतंत्र के लिए जरूरी है कि जनता की सम्प्रभु सत्ता बनायी रखी जाए। इसी उद्देश्य से परिचालित होकर हमारे संविधान में प्रेस की स्वतन्त्रता पर जोर दिया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में वॉक और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के साथ साथ। प्रस्तावना में भी विचारों की स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतन्त्रता का उल्लेख है। इसका अर्थ है कि प्रिंट मीडिया या संचार के किसी भी माध्यम से संविधान भी हमें अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार देता है।

ब्रॉडकास्टिंग को जनसेवा के माध्यम से प्रशासकों ने निर्मित किया। आर्थिक उदारीकरण के दौर में इसे व्यापारिक सेवा बना दिया गया और धीरे–धीरे निजी पूंजी निवेशकों के लिए दरवाजे खोल दिये गये। फलतः ये जनसेवा की बजाय व्यापारिक सेवा की दिशा में चले गये। दूसरी ओर सरकार पर विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति का भी दबाव डाला जा रहा है। विज्ञापन जगत में तो अनुमति दे दी गई है। देखने में आ रहा है कि किस तरह टी0वी0 तरह–तरह के जनसर्वेक्षणों द्वारा कृत्रिम तरीके से जनता की राय को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। आज माध्यमों पर पूंजीपतियों का सख्त नियंत्रण है। जिसके माध्यम से वे अपने हितों से जुड़े मुद्दों को ज्यादा उभार रहे हैं। ऐसा करके वे अन्य सामाजिक मुद्दों को दरकिनार कर रहे हैं। कालांतर में सरकार ने बगैर किसी वार्ता, अथवा विचार–विमर्श के टेलीविजन और रेडियो को निजी क्षेत्र के लिए खुला छोड़ दिया।

उदारीकरण के बाद प्रसार भारत के तहत टेलीविजन के समसामयिक कार्यक्रमों में व्यापारिक जगत से जुड़े कार्यक्रमों का बोलबाला बढ़ा है। डीडी–1 और डीडी–न्यूज चैनल से पूंजीपतियों को जितना समय आबंटित किया जाता है उसका दशांश भी देश की जनता की

सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीति और आर्थिक समस्याओं को नहीं दिया जाता। यही हाल निजी उपग्रह चैनलों का है। इससे संचार माध्यम जगत पर पूंजीपतियों की पकड़ मजबूत हुई है।

इ. काट्ज और जी. बेबेत ने *ब्रॉडकास्टिंग इन दि थर्ड वर्ल्ड* (1978) में लिखा है कि तीसरी दुनिया में देशों में आयातित टेलीविजन कार्यक्रम कुल समय का 30.75 फीसदी हिस्सा घेरते हैं। इन देशों में कुल प्रसारण का औसतन 55 फीसदी हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कार्यक्रमों से घिरा रहता है। जबकि खबरों में एशियाई देशों में 87 फीसदी खबरें शहरों या राजधानियों की होती है। इसके अलावा जनहित प्रसारण संस्थाओं को तेजी से व्यावसायिकता की ओर ठेला जा रहा है। मनोरंजन केंद्रित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए दबाव पैदा किया जा रहा है। जनमाध्यमों में बड़ी पूंजी का दखल बढ़ा है। बड़ी कंपनियां प्रसारण तथा विज्ञापन नीति बदलने के लिए दबाव डाल रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ी कंपनियाँ प्रायोजक मात्र नहीं हैं, बल्कि नीति निर्धारक हैं, माध्यमों की नियंता हैं।

भारतीय परिदृश्य पर भूमंडलीय माध्यमों का दबाव उदारीकरण की भूमंडलीय नीतियों के कारण पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप प्रसार माध्यमों का तेजी से व्यवसायीकरण हुआ है। व्यवसायीकरण के दबाव में प्रसार भारत के ढांचे को पंगु बनाया गया। बहुराष्ट्रीय चैनलों को प्रवेश दिलाने के लिए प्रसारण कानूनों में परिवर्तन किए गए। भूमंडलीय चैनलों की विशेषता है कि वे नियमहीनता की स्थिति का लाभ उठाते हैं और तेजी से आम लोगों के जीवन पर छा जाते हैं। साथ ही, यथास्थितिवादी दृष्टिकोण, विश्वास और मूल्यों का प्रचार करते हैं जिसके कारण जल्दी ही स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं।

भारत को यदि अपनी अस्मिता की पहचान बनानी है तो उसे प्रसार माध्यमों के बहुराष्ट्रीय तंत्र की काट खोजनी होगी। जो अस्मितापंथी हैं उन्हें भी माध्यम साक्षरता पर जोर देना होगा।

सन् 1970 के आसपास समूची दुनिया मे यह प्रश्न उठा था कि चंद विकसित राष्ट्र संचार तकनीकी का अविकसित राष्ट्रों पर सांस्कृतिक प्रभुत्व के लिए दुरूपयोग कर रहे हैं। अविकसित राष्ट्रों की पहचान नष्ट कर रहे हैं। औद्योगिक देशों की आम जनता के पास तीसरी दुनिया की खबरे नहीं होतीं, उसकी मांगें, आकांक्षाओं एवं जरूरतों का उसे पता नहीं होता। यह तब तक संभव नहीं है जब तक सूचना और संचार के मौजूदा ढांचे को बाजार केंद्रित सनसनीखेज खबरों की प्रस्तुति के चंगुल से मुक्त न कर लिया जाए क्योंकि इसके पीछे सचेत रूप से आर्थिक पूर्वग्रह काम कर रहे हैं। इंटरनेट के आने के बाद से सूचना प्रवाह में तब्दीली आई है।

आज विश्व माध्यम विमर्श केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के प्रश्न केन्द्र में हैं। इस विमर्श में **चार बातों** पर आम सहमति दिखाई देती है। **प्रथम,** विकेंद्रीकरण के लिए विकेंद्रित जनतंत्र और बहुलतावाद जरूरी है। **दूसरा,** विविध माध्यमों की आवाज सुनी जानी चाहिए। **तीसरा,** माध्यम जगत में वैविध्यपूर्ण अभिव्यक्ति का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। **चौथा,** माध्यम प्रौद्योगिकी के उच्चतम रूप बेहद खर्चीले हैं। माध्यमों में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को तकनीकी प्रोन्नति ने संभव बनाया है।

**मीडिया का सकारात्मक पक्ष :–** आज जनसंचार आम जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य कर रहा है। आज मीडिया जिस भी घटना, व्यक्ति या पक्ष पर विचार रखता है, जनता उसको आँख बंद करके विश्वास कर लेती है। उदाहरण के लिए IDEA और TATA शिक्षा को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को दिखाते हैं। वोट के द्वारा लोकतंत्र की स्थापना के लिए SMS भेजना, यह सब वृहद स्तर पर जनविश्वास को जन्म देता है।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.85

समाज में जागरुकता लाना, बाल मजदूरी, शिशु जन्म व मृत्युदर, घरेलू हिंसा, लिंगभेद, यौन उत्पीड़न आदि के विषय समाज को जागरूक करता है। यह हमारे सामने विश्व का वास्तविक चेहरा हमारे सामने लाता है। सबसे भयानक विस्फोट मुम्बई हमलों के समय था, जब 26/11 को ताज होटल में आतंकी घुस आए और भारत ने चौंका देने वाला मंजर देखा। उस दौरान मीडिया (J.V.) ने 63 घंटे लगातार NSG कमांडा के आपरेशन को दिखाया, जिससे भारत का युवा वर्ग बहुत प्रभावित हुआ। जो भारत के लिए गौरव का क्षण था। ऐसी बहुत सी घटनाएँ है, जिसमें मीडिया ने अपनी अहम् भूमिका निभाई है।

**सूचना का अधिकार और मीडिया –** सन् 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात् जनसंचार के साधन अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। एक के बाद एक नये घोटाले हर दिन उजागर हो रहे हैं। इस अधिनियम से सूचना बाहर निकालने की मीडिया की रफ्तार बढ़ी है।

**सूचना का अधिकार : मीडिया का कार्यक्षेत्र**

सूचना का अधिकार का उपयोग करते समय मीडिया ने सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सूचना आयोग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बालविकास योजनाएँ, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा योजनाएँ, जमीनी रेकॉर्ड, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक कार्य, सांसद एवं विधायक विकास निधि का उपयोग आदि क्षेत्र में काम करने की जरूरत है।

- दूरदर्शन के द्वारा हर सप्ताह में आधे घंटे का कार्यक्रम सूचना के अधिकार पर प्रसारित किया जाता है।
- सूचना के अधिकार के द्वारा हल की गयी समस्या पर आधारित सफल स्टोरी, दर्शकों से लाइव शो के द्वारा चर्चा करना, पैनल चर्चा भी दूरदर्शन के द्वारा प्रसारित की जाती है।
- 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद मीडिया एवं आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं की मदद से कई बड़े घोटालों के खुलासे मीडिया ने किये हैं। 2008–2013 के बीच कई मामले मीडिया ने उजागर किए जो मीडिया की सुर्खियों में लंबे समय तक रहे, जिनमें से कुछ आज भी सुर्खियों में छाए हैं। मीडिया द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम का भरपूर उपयोग करना सफलता की पहली सीढ़ी है।
- मीडिया सूचना के अधिकार का उपयोग शुरूआत से कर रहा है, लेकिन अब मीडिया की गति बढ़ रही है। सूचना के अधिकार के प्रचार हेतु सभी प्रकार का मीडिया अभी भी सक्रिय नहीं है। सूचना के अधिकार का उपयोग करते समय मीडिया अक्सर निजता का अधिकार भूल जाता है। जनता में आज भी सूचना के अधिकार के बारे में जागरूकता नहीं है। मीडिया के लिए सूचना का अधिकार एक उपयुक्त साधन है, जिसके उपयोग से मीडिया बड़े खुलासे कर सकता है। सूचना के अधिकार के संदर्भ में मीडिया कर्मी को प्रशिक्षित करने की जरूरत महसूस होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने से शासकीय गोपनीयता अधिनियम (कुछ अपवाद छोड़े तो) प्रभावहीन हो गया है।

**मीडिया और मानवाधिकार –**जब हम मानव अधिकारों के वर्तमान संदर्भ में बात करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मीडिया का मूल स्वरूप मानव अधिकारों के पैरोकार के रूप में सामने आता है तथा उसका मूल उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना है।

मीडिया ने वर्तमान संदर्भ में अपनी नयी संस्कृति को विकसित करने की कोशिश शुरू की है, जिसे हम सशक्तिकरण की संस्कृति भी कह सकते हैं। निःसन्देह आज मीडिया शक्तिशाली भूमिका में आ गया है। आज मीडिया के कारण ही मानव अधिकारों के बहुत सारे मामले सामने आए हैं।

यह एक धारणा बन गई है कि मानवाधिकारों का हनन राज्य द्वारा ही किया जाता है लेकिन भारतीय लोकतन्त्र में मानवाधिकारों का दायरा अत्यन्त विषाल है। राजनीतिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के अधिकार, बाल अधिकार, भ्रूण हत्या, निशक्तों के अधिकार, आदिम जातियों के अधिकार, दलितों के अधिकार जैसी अनेक श्रेणियाँ मानवाधिकार में समाहित हैं। यदि ध्यान दिया जाय तो ऐसी ही विषयवस्तु पत्रकारिता की भी है। पत्रकारों के लिए ये मुद्दे उनकी रिपोर्ट का स्रोत होते हैं।

यदि हम मानवाधिकारों के संदर्भ में मीडिया को देखें तो इसके **दो पहलू** हैं। एक साकारात्मक पक्ष तथा दूसरा नकारात्मक पक्ष। सरकार के कर्मचारियों एवं पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के हनन की घटनाएं अक्सर घटित हुआ करती हैं यानि सरकारी तंत्र मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं जिन्हें मीडिया सामने लाती है। यदि नकारात्मक पक्ष से देखा जाय तो कभी–कभी मीडिया स्वयं ही मानवाधिकार का उल्लंघन कर बैठती है। मानवाधिकार हनन के मामले को प्रकाश में लाना तो संचार माध्यमों का कर्तव्य है किन्तु बहुधा ऐसा होता है कि यह कर्त्तव्य भी मानवाधिकार के हनन का कारण बन जाती है। कई बार अपनी पेशागत प्रतिबद्धता के चलते मीडिया से जुड़े व्यक्ति मानवाधिकार हनन कर बैठते हैं। कभी–कभी व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं प्रेस की स्वतंत्रता में भी टकराव उत्पन्न हो जाता है। फोटोग्राफरों द्वारा गुजरात में भूकम्प में एवं महाकुंभ में स्नान करते हुए महिलाओं के अर्द्धनग्न फोटो खींचा जाना भी मानवाधिकार का हनन है। भारत जैसे विषाल देश में मानवाधिकारों का दायरा भी अत्यन्त विशाल है। पिछले कई वर्षों से मीडिया मानवाधिकारों के मामले में तटस्थ हो गया है। इरोम शर्मिला और सलवा जुडूम ऐसे ही मामले हैं जिन पर मीडिया ने अपनी तरफ से विमर्श की कोई पहल नहीं की। मीडिया की यह तटस्थता लोकतन्त्र के लिए घातक है।

इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रभाव बढ़ने के साथ ही कई बार टी0आर0पी के चक्कर में टी0वी चैनल हदें पार कर देते हैं, उदाहरण के लिए मुम्बई के आतंकी हमले वाले प्रकरण में होटल में फंसे बंधकों और सुरक्षा बलों की जान को इसलिए खतरा उत्पन्न हो गया क्योंकि लाइव कवरेज के चलते आतंकियों को सुरक्षा बलों की सभी हरकतों की जानकारी मिलती रहे। इस तरह की रिपोर्टिंग से बचा जाना चाहिए। ये घटनाएँ (आतंकवादी घटनाएं, बलात्कार, सामूहिक हत्याकांड आदि) मानवाधिकार का हनन भी है न कि मात्र कानून व्यवस्था की समस्या। इससे इन संगठनों के कुतर्क का प्रतिरोध हो सके और उनकी मनमानी पर रोक लग सके। क्योंकि मानवाधिकार हनन के दोषियों का कोई मानवाधिकार नहीं होना चाहिए।

संचार क्रान्ति के आम जन तक पहुँचने का असर यह हुआ है कि किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए 2004 में किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई। 1515 नम्बर डायल कर कोई भी किसान मुफ्त में कृषि विषयक समस्या का निदान पा सकता है। ई–चौपाल से खेती में होने वाले खतरे कम हो रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्डसार उपग्रह आधारित रिमोट सेंसिंग, डिजिटल भू–सर्वेक्षण, जैव तकनीकी और भूमि उपयोग के वैज्ञज्ञनिक सुझावों का लाभ अब किसानों को मोबाइल के माध्यम से ही मिल सकेगा।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.85

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मोबाईल और इण्टरनेट द्वारा टेली मेडिसन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक कार्य किया है। इसके द्वारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के रोगियों का इलाज विशेषज्ञों द्वारा हो जाता है। न्यू मीडिया के द्वारा इस दिशा के सकारात्मक प्रयास मानवीय विकास को दिखाता है।

क्लाराशिन ने The Facebook era taping Online Social Networks to build better Products reach new audiance & Sell more sluff मे लिखा है कि इस तरह के सोशल मीडिया के विस्तार ने हमारी जीवन शैली, काम और संपर्क की प्रकृति को को बुनियादी तौर पर बदल दिया है। इण्टरनेट के माध्यम से कई आंदोलनों का जन्म हुआ है। ट्विटर, ब्लागस, व्हॉटसअप इत्यादि अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण माध्यम बन गये हैं।

**सोशल मीडिया और लोकतंत्र –** आज के युग में सोशल मीडिया ने सरकार के क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। सोशल मीडिया ने सीधे लोकतन्त्र का विचार भी काफी हद तक सुलझाया है। 2014 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद के राज्य स्तर के चुनावों पर भी सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ा है। सार्वजनिक नीति की घोषणा, मुद्दों पर आधारित चर्चा, सामान्य चर्चा के लिए इस नये मीडिया यंत्र का मंत्र बार–बार जपा जा रहा है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आपदा प्रबन्धन संकट के दौरान समुदायों की सक्रिय भागीदार कराने के लिए एक बेहतर उपकरण साबित हुआ है। यह गैर संस्थागत सुधारों के प्रभाव को पाने के अवसर भी प्रदान करता है।

चूंकि अधिकांश सोशल मीडिया रातों रात अस्तित्व में आए, जिसमें से तमाम फर्जी भी होते हैं। फेक न्यूज इसी की उत्पत्ति है। यह शब्द अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में ट्रंप को लेकर अस्तित्व में आया और आज यह दुनिया में प्रजातंत्र के समक्ष एक बड़ा खतरा और देषों के बीच पारस्परिक तनाव का कारण बन गया है। 'पीपली लाइव' और 'रन' मीडिया की इस नकारात्मक भूमिका पर एक जबरदस्त कटाक्ष थी। 2010 के नीरा राडिया केस ने देश के अधिकांश नामचीन पत्रकारों की असली हैसियत को जनता के सामने रख दिया। जिसे देखकर मीडिया की हकीकत जनता के सामने आ गई थी। यहाँ तक कि इस केस में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों तक प्रभावित करने की जो बात हुयी थी, उसने मीडिया की सारी कलई खोलकर रख दी थी।

कैब्रिज एनालिटिका के खुलासे से पता चल चुका है कि फेसबुक और उसके परिवार की कम्पनियाँ उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता को लेकर कितनी लापरवाह है। फेसबुक को यहाँ तक माना गया कि अमेरिका के 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में चुनाव तक को प्रभावित किया था। अभी इस तरह की आशंका भारत के लोकसभा चुनावों को भी लेकर की गई है। चुनावों के दौरान मतदाताओं को इस प्रकार के संदेश भेजे जाते हैं कि वे अपने मत को बदल देने का विचार करने लगे। मुख्य मुद्दा यह है कि फेसबुक जैसी सोशल साइट्स पर हम अपनी पसंद नापसंद को बड़ी संख्या में व्यक्त कर रहे हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक युद्ध हमारे व्यवहार और सोच को प्रभावित कर रहे हैं। 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनल राजनीतिक बहसों के माध्यम आरोप–प्रत्यारोप का खेल खेलते रहते हैं। शीना मर्डर केस, राम रहीम बाबा प्रकरण ऐसे उदाहरण हैं।

भारतीय मीडिया का एक पक्ष ये भी है कि अधिकांश मीडिया (औपचारिक, सोशल) के पैरोकार लोकतंत्रीय व्यवस्था के खिलाफ वामपंथी विचारधारा की पैरवी करते हैं। फलतः भारत जैसे बहुसंस्कृतिवादी समाज में अलगाववादी शक्तियाँ सशक्त होती है। तकनीकी लेखक और विचारक

निकोलस कार ने अपनी किताब 'द शैलोज' में लिखा था कि इण्टरनेट हमारे दिमाग को कुंद करने लगा है। तार्किक विश्लेषण करने की हमारी क्षमता घट रही है।

## निष्कर्ष

पं. जवाहर लाल नेहरू ने जनसंचार को लोकतन्त्र का प्रहरी कहा था। इस आधार पर मीडिया लोकतन्त्र में संचार वाहक का कार्य करता है। यह जनता को राज्य से जुड़े मुद्दों पर न केवल जागरूक करने का कार्य करता है बल्कि राजनीतिक सहभागिता के लिए प्रेरित करता है।

भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1) अ के खिलाफ युक्तियुक्त निर्बधन लगाने के कुल 8 आधार अनुच्छेद 19(2) में वर्णित है, और पिछले 70 सालों में सरकारों ने इन निर्बधों के तहत करीब तीन दर्जन कानून बनाये हैं। जो मीडिया पर अंकुश लगाये रख सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के अन्तर्गत सरकार सूचनाओं तक लोगों की पहुँच को रोक सकती है। धारा 69(A) में कहा गया है कि देश की सार्वभौमिकता, अखण्डता, सुरक्षा के दृष्टिगत किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक किया जा सकता है।

भारत में कम्प्यूटर क्रान्ति की शुरूआत तो स्व0 राजीव गांधी ने की थी परंतु वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल साइट्स और जनसंचार के माध्यमों के वृहत्तम प्रयोग द्वारा दूरदराज की जनता तक पहुँच बना ली है। रेडियो के माध्यम से मन की बात, समय–समय पर महिलाओं, वंचित वर्गों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनता के हृदय तक पहुँच कर लोकतन्त्र को सषक्त करने का प्रयास किया है। ई–गर्वनेंस, डिजिटलाइजेशन, कम्प्यूटराइजेशन के माध्यम से सरकार के कार्य शीघ्रता से होने लगा है। सबसे ज्यादा आम जनता को सरकारी लाभ या धनराशि सीधे उनके खाते में पहुँच रहा है, जिससे निचले स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है। भारत जैसा देश जो विकासशील से विकसित देश की यात्रा पर है, मीडिया को सकारात्मक पहल करनी होगी।

## सन्दर्भ

1. Praveen, Ankitha, "Role of Media in Democracy and Good Governance" School of Legal Studies, CUSAT, July 21, 2014.
2. Barnett, C., "Media, democracy and representation: Disembodying the public. In C. Barnett & M. Low (Eds.). Spaces of Democracy: Geographical Perspectives on Citizenship, Participation and Representation" London UK: Sage 2004.
3. Bogart, L. "Media and Democracy": In E.E. Dennis & R.W. Snyder (Eds.), "Media & Democracy". USA: Transaction, 1995.
4. चतुर्वेदी, जगदीश्वर–''टेलीविजन, संस्कृति और राजनीति'', अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली 2004
5. Dutta, Soumya, "Social Responsibility of Media and Indian Democracy" Global Media Journal – Indian Edition / Summer Issue / June 2011.
6. Habermas, J. "Information and democracy. In F. Webster (Ed.) Theories of the Information Society" New York, NY: Taylor & Francis, 2006.

7. Heywood, Andrew. "Politics" 3rd edition, Palgrave Macmillan,New York, 2007.
8. मैक्किल, डेनिस (1983), "Supplementary theories of Presss"
9. Panikkar, N. K. (2004, January 12). Opinion: "Media and the Public Sphere" The Hindu. Retrieved from http://www.hindu.com. /2004/01/12/stories/ 2004011201571000.htm.
10. Pelinka, A. "Democracy Indian Style: Subhas Chandra Bose and the Creation of India's Political Culture. (R. Schell, Trans.) USA: Transaction, 2003.
11. राजगठिया विष्णु – "Right to Information – Is Media Planning its Role.
12. Rai, Bina: "Role of Media in Indian Democratic System" The Indian Journal of Political Science, Vol. LXXVI, No.3, July –September 2015
13. सैनी, आर. डीकृएवं मगलानी रूपा –''सूचना का अधिकार''
14. सक्सेना, अम्बरीष (संपा. 2015) –''मीडिया की नई चुनौतियाँ'', कनिष्क पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
15. साइबर्ट फ्रेड, पीटरसन थिओडोर, श्रैम विल्बर – "Four Theories of Press, University of Press, Chicago Illinois, 1956
16. Singh, M.P. - "Comparative Constitutional Law, 'Free Speech in Germany'", (Eastern Book Company, 2011).
17. The Views Paper, "Playing a Blame Game, the Politics in Reporting" August 2, 2007.
18. The glory and the blemishes of the Indian news media by AMARTYA SEN, January 7, 2011 available at (http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/the-glory-and-the-blemishes-of-the-indian-news-media/article2781128.ece).
19. The Views Paper "Is the Media really helping the society?" 30 September, 2010
20. Role of Press in India's Struggle for Freedom available at (http://aicc.org.in/new/ role-of-press.php).
21. Critically analyze the effect of social media on government, governance and institutions in India. BY INSIGHTS · APRIL 24, 2015
22. http://www.interparty.org/importance-of-ict-on-governments.html
23. http://www.elections.in/blog/role-of-media-in-Indianpolitics/ #sthash.QFCFVbfz.dpuf
24. हिन्दुस्तान, 5 अप्रैल 2018
25. दैनिक जागरण, 5,10 अप्रैल 2018
26. द हिन्दु – 2 अप्रैल 2018, 16 सितम्बर 2018